न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 171/2017 (2017/00204)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण

1. किसनाराम पुत्र मांगूराम
2. ईश्वरराम पुत्र नोलाराम
3. नारायणराम पुत्र हुक्माराम जाति समस्त जाट निवासीयान ग्राम पदमपुरा (सरगोठ) तहसील कुचामनसिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नाथूराम पुत्र मांगूराम
2. गोपाल पुत्र मांगूराम
3. तीजू देवी पत्नी मांगूराम
4. शिवकरण पुत्र नोलाराम
5. रामेश्वरलाल पुत्र नोलाराम
6. महादेव पुत्र नोलाराम
7. बनाराम पुत्र नोलाराम
8. मोहनी देवी पुत्री नोलाराम
9. सोहनी देवी पुत्री नोलाराम
10. छोटी देवी पुत्री नोलाराम
11. गुलाब देवी पुत्री नोलाराम
12. जीवणराम पुत्र भंवरलाल
13. केशर देवी पत्नी भंवरलाल
    जाति समस्त जाट जाट निवासीयान ग्राम पदमपुरा (सरगोठ) तहसील कुचामनसिटी।
14. भागूराम पुत्र मंगनाराम
15. घीसाराम पुत्र मंगनाराम
16. प्रकाश पुत्र मंगनाराम
17. रमेश पुत्र मंगनाराम
18. खेताराम पुत्र मंगनाराम
19. गुलाराम पुत्र भोलूराम
20. मदललाल पुत्र भोलूराम
21. पनुड़ी पत्नी हनुमानराम
22. मोहनी पुत्री हनुमानराम
23. कानाराम पुत्र हनुमानराम
24. राजेश पुत्र हनुमानराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

25. मुकेश पुत्र दोलाराम
26. मांगूराम पुत्र रतनाराम
27. मोतीराम पुत्र रतनाराम
28. भंवरी देवी पुत्री रतनाराम
29. तुलछी देवी पुत्री रतनाराम
30. किसनी देवी पुत्री रतनाराम
31. भूराराम पुत्र टीकूराम
32. भोमाराम पुत्र टीकूराम
33. हरनाथराम पुत्र टीकूराम
34. रामा देवी पत्नी दूलाराम
35. सुखाराम पुत्र बालूराम
36. चैनाराम पुत्र बालूराम
37. नानूड़ी पत्नी बालूराम
    जाति समस्त जाट निवासियासन ग्राम पदमपुरा (सरगोठ) तहसील कुचामनसिटी
38. मोहनराम पुत्र आसुराम जाति मेघवंशी निवासी जोधपुर
39. नेमीचंद पुत्र आसुराम जाति मेघवंशी निवासी जोधपुर
40. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामनसिटी
41. मैनेजर युको बैंक शाखा कुचामनसिटी
42. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी तहसील नावां
43. उप पंजीयक कुचामनसिटी
44. पटवारी हल्का सरगोठ तहसील कुचामनसिटी
45. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 30/04/2018

वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 13 एक ही खानदान के सदस्य है एवं स्वं0 हुक्माराम जी के वंशज है जनका सजरा खानदान इस प्रकार है।

हुक्माराम

1. भैरूराम पुत्र
    1. जीवणराम पुत्र
    2. केशर देवी पत्नी
2. मांगूराम पुत्र
    1. नाथूराम पुत्र
    2. किसनाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3. गोपाल पुत्र
4. तीजूदेवी पत्नी

3. नोलाराम पुत्र
1. ईश्वर राम पुत्र
2. रामेश्वर पुत्र
3. बनाराम पुत्र
4. शिवकरण पुत्र
5. महादेव पुत्र
6. मोहनी देवी पुत्री
7. सोहनी देवी पुत्री
8. छोटी देवी पुत्री
9. गुलाब देवी पुत्री

4. नारायणराम पुत्र

ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नं0 391 रकबा 22 बीघा, खसरा नं0 315 रकबा 18 बीघा 16 बीस्वा, खसरा नं0 413 रकबा 04 बीस्वा, खसरा नं0 414 रकबा 06 बीस्वा कुल रकबा 41 बीघा 5 बीस्वा स्थित थे जिनके नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही में नवीन खसरा नं0 243 रकबा 3.56 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.01 है0 व खसरा नं0 255 रकबा 3.07 है0 कुल रकबा 6.64 है0 कायम हुए है।

उपर्युक्म खरा नम्बररान में स्थित भूमि के 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार वादीगण व दादाजी–पिताजी स्व0 हुक्माराम जी रहे व उनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर जरिए उत्तारधिकारी वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं व मात्र 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं0 10 ता 26 अपने हक–हिस्सेनुसार खातेदार दर्ज अनुसार काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं व उक्त भूमि में शुरू से ही प्रतिवादी सं0 38 व 39 के पूर्वजों का व उनका कोई हक–हिस्सा कब्जाकाश्त कभी भी नहीं रहा है।

उपर्युक्म भूमि में वक्त जागीर से 1/2 हिस्सा भूमि हुक्मा वल्द पेमा व 1/4 हिस्सा हनुमान वल्द चिमना, 1/8 हिस्सा पना वल्द हेमा, 1/8 हिस्सा टीकू वल्द रामू के कब्जा व अधिकार में रही है। इसी अनुसार राजस्व लगान जागीरदारों को अदा कराते रहे। उनके बाद जागीरी जब्ती के बाद सीधा लगान सरकार को अदा कराते आ रहे थे व इसी अनुसार काश्त व उपयोग–उपभोग करते आ रहे थे, लेकिन राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा आशा वल्द जोधा का नाम गलती से दर्ज चला आ रहा था जो कि नाामन्तरकण सं0 185 दिनांक 19.06.1963 के तहत हटकर उपर्युक्त सम्पूर्ण में 1/3 हिस्सा भूमि भेरू, मांगू, नोला, नारायण पिता हुक्माराम कौम जाट के नाम से दर्ज होकर खातेदारी दर्ज हो गई व भैरूरामजी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर प्रतिवादी सं 12, 13 व मांगूराम जी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नोलाराम जी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 व वादी सं0 3 नारायणराम काबिज खातेदार दर्ज चले आ रहे है।

उपर्युक्त भूमि के गत खसरा नं0 391, 415,413,415 कुल रकबा 41 बीघा 05 बीस्वा वाके सरहद सरगोठ के खातेदार हुक्मा के फौत होने पर उनके स्थान पर उसके 1/4 भाग व आशा के स्थान पर 1/4 भाग को मिलाकर 1/3 भाग की खातेदारी भेरू, मांगू, नोला, नारायण पिता हुक्मा के नाम अंकित की गई। इस खसरा नं0 के कुल रकबा 41 बीघा 05 बीस्वा के 1/2 भाग की भूमि पर वादीगण व नारायणराम व इसके भाई स्व0 भैरू, मांगू व नोला काबिज रहे व भैरू, मांगू व नोला के फौत होने पर इनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 काबिज चले आ रहे है।

उपर्युक्त भूमि के गत खसरा नं0 391,415,413, व 414 कुल रकबा 41 बीघा 5 बीस्वा वाके सरहद सरगोठ के वर्तमान खसरा नं0 243, 254 व 255 कुल रकबा 6.64 है0 सरहद सरगोठ की खातेदारी में स्व0 हुक्मा के वारिसान का 1/2 हिस्सा की जगह कांटछांट कर 1/4 हिस्सा सम्वत् 2023 वे 2026 की जमाबंदी में कर व 1/4 हिस्सा आसु पुत्र जोधा का नाम दर्ज कर दिया जो कि एक फौरी व दस्तावेज के साथ कांट छांट की गई जो कि प्रथम दृष्टया देखने पर ही पता लगता है जो कि नल व वोइड है जिसका बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया जिसका किसी को कोई अधिकार नहीं था इसलिए यह प्रतिष्टि शुरू से ही शुन्य शुमार है।

ग्राम सरगोठ के गत खसरा नं0 391, 415, 413 व 414 के नवीन खसरान 243, 254 व 255 कुल रकबा 6.64 है0 में 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 दर्ज कराने के हकदार है। खतौनी सम्वत 2023–2026 के अंतिम कॉलम में जो नोट लगाया है वह मनमर्जी से बिना अधिकार के बिना किसी उजर आपत्ति के गैर कानूनी रूप से लगाया एवं इसी खतौनी के खाता सं0 140 के खातेदारों के नामों में कांट छांट करके आसु वल्द जोधा 1/4 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज किया गया है जोकि सरागर गलत इन्द्राज किया है उसको दुरूस्त कर पुनः 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण व प्रवितादी सं0 1 ता 13 अपने हक हिस्सेनुसार नामान्तरकण सं0 185 दिनांक 19.06.1963 के अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 अपने नाम की 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी दुरूस्ती कराने के हकदार हैं जोकि इनकी पैतृक हक अधिकारों की भूमि को इपने नाम दुरूस्ती कराने के हकदार हैं जोकि इनकी पैतृक हक अधिकारों की भूमि को अपने नाम दुरूस्त कराना आवश्यक हुआ है इसलिए यह रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद लाना आवश्यक हुआ है जिसके वादीगण अधिकारी है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत हैः–

ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं0 391, 415, 413 व 414 कुल रकबा 41 बीघा 05 बीस्वा के नवीन खसरा नं0 243 रकबा 3.56 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.01 है0 व खसरा नं0 255 रकबा 3.07 है0 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

6.64 है0 में नामान्तकरण सं0 186 दिनांक 19.06.1963 के अनुसार पुनः 1/2 हिस्सा के वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 काबिज खातेदार घोषित किया जाकर व प्रतिवादी सं 38 व 39 का नाम खातेदारी में से हटाया जावे व शेष खातेदार प्रतिवादी सं0 14 ता 37 अपने हक हिस्सेनुसार दर्ज यथावत रहेगी।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 09.01.2018 को प्रतिवादी सं0 14,16,17,23,24,26,36 का इकबाली जबाब वकील श्री जगदीश प्रसाद नेहरा ने मय वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 13, 15, 18 ता 22, 25, 27 ता 35, 37 एवं 40 ता 45 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 12.03.2018 को अखबार शाया होने पर भी प्रतिवादी सं 38 व 39 गैरहाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 26.04.2018 को गवाह वादी किसनाराम एवं गवाह धनाराम, जगदीश प्रसाद पेश, शामिल मिसल है और गवाह पेश नहीं करने पर गवाह बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकुलाय ने बहस सुनाई, दौराने बहस वकील वादी ने वादी पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की तात्कालिन खातेदार आशा पुत्र जोधा ने अपनी सम्पूर्ण भुमि 1/4 हिस्से की वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 ता 13 के दादा हुक्माराम को 99 रूपये में विक्रय कर कब्जा उसी दिन सुपूर्द कर दिया, जिसका नामान्तकरण सं0 185 स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण आज भी वैध है जिसको किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी है। परन्तु तत्कालिन नायब तहसीलदार ने वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 13 के पिता भैरू, मांगू, नोला व नारायण को नुकसान पहुचाने की नियत से खतौनी सम्वत 2023–2026 में अवैध तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कांट छांट कर वादीगण व प्रतिवादीगण की 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा विलोपित कर प्रतिवादी सं0 38 व 39 के पिता कि नाम दर्ज कर दिया। जिसका उन्हे कानूनन अधिकार नहीं है। नायब तहसीलदार ने यह नोट अंकित किया है कि आशा ने विक्रय जरीये रजिस्ट्री नहीं करवाया है इसलिए आर टी एक्ट की धारा 46 की अवहैलना की गई है। जबकि उक्त प्रकरण में धारा 46 की किसी भी सुरत में अवहैलना नहीं हुई है। जहां तक प्रश्न विक्रय दस्तावेज का है उनके संबंध में पंजीयन अधिनियम में यह सुस्थापित है कि 100 रूपये से कम का बेचान दस्तावेज को पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है एवं साथ में वकील वादी ने यह भी कथन किया की नामान्तरकण सं0 185 दिनांक 19.06.1963 के आधार पर आशा बलाई के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमि खातेदारी 99 रूपये के अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादीगण के दादा हुक्माराम को प्राप्त हुई थी। जिसके परिक्षेप में माननीय राजस्व मण्डल ने आरआरडी 1980 के पृष्ठ सं0 601 यह प्रतिपादित किया है कि दिनांक 02.09.1956 से 30.04.1964 के बीच में हुए बैचान सही है एवं आरआरडी 1985 राजस्थान राज्य बनाम देवीलाल पेज सं0 567 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा उनके भिन्न जाति के सदस्य को भूमि का विक्रय दिनांक 30.06.1963 को किया गया है। दावा दिनांक 17.05.1975 को किया गया। दिनांक 30.04.1983 से लगातार कब्जा होने पर खातेदारी दी जा सकती है इससे यह भलीभांति साबित है कि वादीगण के दादा हुक्मा के पक्ष में निस्पादित बेचान भी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वैध है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 के पक्ष में निस्पादित बेचान को भी आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। उक्त दोनों दस्तावेजो की वैधता आज दिन तक बरकरार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर वक्त जागीर से निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से जरीये उत्तराधिकार काबिज कृषक चले आ रहे है एवं आजीविका का एक मात्र साधन यही कृषि भूमि है।

वकुलाय की बहस, वादी का वाद पत्र एवं वाद पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नं0 391, 413, 414, 415 कुल रकबा 41 बीघा 5 बीस्वा भूमि में जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 के दादा हुक्मा पुत्र पेमा को 1/4 हिस्से की भूमि के अधिकार प्राप्त किये गये थे तथा शेष 3/4 हिस्से में अन्य खातेदार रहे। उक्त आराजी के खातेदार आशा पुत्र जोधा ने अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 के दादा हुक्माराम पुत्र पेमाराम को विक्रय कर दी थी जिसका नामान्तकरण सं0 185 स्वीकृत हुआ का पठन करने पर उक्त आराजी 1/2 हिस्सा पर वादीगण के दादा हुक्माराम पुत्र पेमाराम खातेदार हो गये एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जाइन्दा पुत्र व उत्तराधिकारी भैरू, मांगू, नोला, नारायण जरीये उत्तराधिकार काबिज कृषक खातेदार हुए जो जमाबंदी इन्द्राज सम्वत 2023–2026 से बखुबी साबित है। 2023–2026 के जमाबंदी चौसाला में तत्कालिन मायब तहसीलदार ने जमाबंदी के अंतिम कॉलम में बिना किसी आदेश के ही यह नोट अंकित किया है, कि विक्रय जरिए रजिस्ट्री नहीं कराया है आर टी एक्ट की धारा 46 की अवहेलना की गयी है। इन्द्राज खाना में दुरूस्ती की गयी तथा खातेदारी के कॉलम में भैरू, मांगू, नोला, नारायण पिसरान हुक्मा के स्थान पर 1/2 हिस्सा को काटकर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया व इसी कॉलम के अन्त में बिना किसी आदेश के ही आशा पुत्र जोधा बलाई 1/4 दर्ज कर दिया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो की वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 के दादा हुक्मा के पक्ष में निष्पादित बैचान व उसकी पालना में तस्दीक हुए नामान्तकरण सं0 185 दिनांक 19.06.1963 को किसी न्यायालय ने निरस्त कर दिया हो। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे भी हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होती है प्रकरण को अधिकाष प्रतिवादीगण ने जरिए इकबाली जबाब स्वीकार कर अपना काउन्टर क्लेम चाहा है दिगर प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला के अनुपस्थित रहे है जो उनकी मौन स्वीकृति में शुमार है तत्कालिन नायब तहसीलदार द्वारा जमाबंदी चौसाला सम्वत 2023 से 2026 के अन्तिम कॉलम में बिना किसी आदेश के नोट लगाकर जमाबंदी के कॉलम में कांटछाट करना गलत है पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम सरगोठ के एत खसरा नं0 391, 413,414,415 कुल रकबा 6.64 है0 कायम हुये है जिसके 1/4 हिस्सा में तत्कालिन विक्रेता आशा वल्द जोधा के वारिस मोहनराम व नेमीचंद का नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी के वाद पत्र, प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य वकील वादीगण की बहस एवं प्रस्तुत नजीरों के अवलोकन से वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का वाद पत्र साबित होता है जो स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम सरगोठ के गत खसरा नं0 391, 413,414,415 कुल रकबा 49 बिधा 5 बिस्वा के भाग नवीन खसरा नं0 243, 254, 255 कुल रकबा 6.64 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी में से 1/4 हिस्सा के खातेदार तत्कालिन विक्रेता के वारिसान मोहनराम व नेमीचंद का नाम हटाया जाता है राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)